न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 127/2021

1. भंवरलाल पुत्र श्री पांचूराम उर्फ पांचूलाल जाति माली निवासी जे–13/14 आदित्य मिल लेबर कॉलोनी, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. पांचूलाल पुत्र श्री श्योबक्ष, जाति माली निवासी मालियों का मौहल्ला, शिवाजी नगर, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
2. श्रीमती नोसर पत्नि स्व0 श्री कमलेश जाति माली निवासी मालियों का मौहल्ला, शिवाजी नगर, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
3. लोकेश पुत्र स्व0 श्री कमलेश नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती नोसर पत्नि स्व0 श्री कमलेश जाति माली निवासी मालियों का मौहल्ला, शिवाजी नगर, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
4. आशीष पुत्र स्व0 श्री कमलेश नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती नोसर पत्नि स्व0 श्री कमलेश जाति माली निवासी मालियों का मौहल्ला, शिवाजी नगर, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
5. ज्योति पुत्री स्व0 श्री कमलेश जाति माली निवासी मालियों का मौहल्ला, शिवाजी नगर, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
6. बीमा पुत्री स्व0 श्री कमलेश जाति माली निवासी मालियों का मौहल्ला, शिवाजी नगर, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
7. श्री मदन लाल पुत्र श्री पांचूलाल जाति माली निवासी मालियों का मौहल्ला, शिवाजी नगर, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
8. सुशीला पुत्री श्री पांचूलाल पत्नि श्री बीरू माली जाति माली निवासी कृष्णा आर्ट के पास सिटी रोड़ मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
9. बसन्ती पुत्री श्री पांचूलाल पत्नि श्री घुन्नीलाल सैनी जाति माली निवासी बरकत नगर, सिटी डिस्पेन्सरी के पास टौंक फाटक, जयपुर
10. मंगला पुत्र स्व0 श्री श्योबक्ष, जाति माली निवासी मालियों का मौहल्ला, शिवाजी नगर, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
11. बिशन लाल पुत्र स्व0 श्री छोटूलाल जाति माली निवासी दरगड़ धर्मशाला के पास, शिवाजी नगर, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
12. भागचन्द पुत्र स्व0 श्री छोटूलाल जाति माली निवासी दरगड़ धर्मशाला के पास, मझेला रोड़ पानी की टंकी के पास, शिवाजी नगर, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
13. जितेन्द्र मालाकार पुत्र स्व0 श्री सुवालाल जाति माली निवासी सामोद भवन, माताजी का मंदिर गार्डन के पास मालियान गढ़ी, अजमेर
14. श्रीमती रामू देवी पुत्र स्व0 श्री सुवालाल पत्नि श्री रामप्रसाद माली जाति माली निवासी टोडू मोडू की ढाणी सरगांव रोड़ किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
15. श्रीमती सोना देवी पुत्री स्व0 श्री सुवालाल पत्नि श्री मुकेश माली जाति माली निवासी टोडू मोडू की ढाणी सरगांव रोड़ किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
16. श्रीमती बाया देवी पुत्री स्व0 श्री सुवालाल पत्नि श्री मोहन लाल माली जाति माली निवासी दरगड़ धर्मशाला के पास, शिवाजी नगर मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर
17. उप पंजीयक किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
18. तहसीलदार किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांकः 29/05/2024

उपस्थितः श्री हनुमान प्रसाद शर्मा प्रार्थी अभिभाषक
श्री गोविन्ददास पुरोहित अप्रार्थी सं0 1, 2, 3, 6 व 7 अभिभाषक

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा जरिये वकील श्री हनुमान प्रसाद शर्मा के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत धारा 212 के विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

2.1 प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी के दादाजी अप्रार्थी सं0 1 के पिता, अप्रार्थी सं0 2 के दादा ससुर अप्रार्थी सं0 3 से 6 के परदादाजी व अप्रार्थी सं0 7, 8, 9 के दादाजी तथा अप्रार्थी सं0 10 के पिता, अप्रार्थी सं0 11 लगायत 16 के दादा जी श्री श्योबक्ष पुत्र श्री रेखा माली के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि खाता सं0 नया 370 पुराना 382 ख0नं0 1170 रकबा 00–02–00 गै0मु0 रास्ता, ख0नं0 1171 रकबा 00–02–00 गै0मु0 चाह एवं ख0नं0 1174 रकबा 10–07–00 कुल किता 3 कुल रकबा 10–11–00 भूमि ग्राम मदनगंज पटवार हल्का मदनगंज तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 में स्थित है। इस कृषि भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 से 9 का संयुक्ततः 1/5 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 10 का 1/5 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 11 का 1/5 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 12 का 1/5 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 13 से 16 का 1/5 हिस्सा है। उक्त वर्णित भूमि पैतृक है जो प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं0 1 पांचूलाल पुत्र श्री श्योबक्ष के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है, किन्तु हिन्दू उत्तराधिकार के प्रावधानों के अनुसार उक्त 1/5 हिस्से में प्रार्थी का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 1 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 2 से 6 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 7, 8 व 9 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा है अर्थात सम्पूर्ण आराजी में प्रार्थी का 1/30 हिस्सा एवं अप्रार्थी सं0 1, 7, 8 व 9 प्रत्येक का 1/30 हिस्सा तथा अप्रार्थी सं0 2 लगायत 6 का संयुक्ततः 1/30 हिस्सा निहित है। उक्त वाद वर्णित भूमि का प्रार्थी तथा अप्रार्थी सं0 1 से 16 के मध्य मय नींव सींव अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी भूमि का नापचौप कर बंटवारा किया हुआ नहीं है तथा राजस्व रिकार्ड में वादअधीन कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थी सं0 13 लगायत 16 के पिता स्व0 सुवालाल जी का फौती नामान्तकरण राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है तथा रामनारायण जी ने अपने 1/5 हिस्सा भूमि अपने भाई छोटूलाल जी को अन्तरण कर दी थी। वाद अधीन भूमि

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

पैतृक भूमि होने से प्रार्थी का जन्म से ही हक अधिकार वाद अधीन भूमि में है। प्रार्थी का वाद अधीन भूमि पर हिस्से अनुसार कब्जा काश्त है। वाद वर्णित कृषि भूमि पैतृक है किन्तु प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं0 1 पांचूलाल जी के अकेले नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में इन्द्राज होने के कारण अप्रार्थी सं0 1 ने वाद अधीन भूमि के सम्पूर्ण 1/5 हिस्से को अप्रार्थी सं0 2 लगायत 9 से मिलीभगत कर प्रार्थी को उसके अधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से अपनी पुत्रवधु अप्रार्थी सं0 2 के नाम दिनांक 19.08.2021 को उपहार प्रलेख निष्पादित कर पंजीयन करवा दिया है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित वाद वर्णित भूमि के 1/5 हिस्से में से 1/6 हिस्से का अर्थात सम्पूर्ण भूमि के 1/30 हिस्से का कानूनन खातेदार काश्तकार है। इस 1/30 हिस्से से अधिक भूमि का अन्तरण प्रारम्भतः विधि विरूद्ध व शून्य है। अप्रार्थी सं0 1 ने वाद अधीन भूमि को बिना विभाजन किये ही अप्रार्थी सं0 2 से 9 से मिली भगत कर प्रार्थी को उसके हक हिस्सा अधिकारों से वंचित करने की नियत से भूमि के सम्पूर्ण 1/5 हिस्से का दिनांक 19.08.2021 को दान पत्र (उपहार प्रलेख) अप्रार्थी सं0 2 के नाम निष्पादित कर पंजीयन करवा दिया है। दिनांक 19.08.2021 को अप्रार्थीगण सं0 1, 2 व 7 ने वादी को ऐलानिया धमकी दी कि वे वादअधीन भूमि को आगे भी बैचान करके रहेंगे। अप्रार्थी सं0 1 से 9 के इस प्रकार के कृत्य की वजह से वाद अधीन कृषि भूमि के प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0 1 से 16 के मध्य हिस्सेनुसार मय नींव सींव बंटवारा किये जाने हेतु प्रार्थी के द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी सं0 2 के विरूद्ध ताफैसला मूल वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी आवश्यक है कि वे ताफैसला मूल वाद वादअधीन भूमि को अन्यत्र विक्रय, दान इत्यादि किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा अप्रार्थी सं0 1 से 9 प्रार्थीगण के भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे। अतः प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 1 से 9 के विरूद्ध ताफैसला मूल वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थी सं0 2 ताफैसला मूल वाद पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि को अन्यत्र विक्रय, दान, इत्यादि किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा अप्रार्थी सं0 18 ताफैसला मूल वाद राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थी सं0 17 ताफैसला मूल वाद अप्रार्थी सं0 2 द्वारा प्रस्तुत वादअधीन भूमि बाबत् किसी भी हस्तान्तरण पत्र का पंजीयन नहीं करे व अप्रार्थी सं0 1 से 9 प्रार्थी के भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थी सं0 1 से 9 को उसके परिवारजन, सगे सम्बन्धी, नौकर चाकर, एजेन्ट आदि को पाबन्द किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

3. अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं0 1, 2, 3, 6 व 7 की ओर से वकील श्री गोविन्द दास पुरोहित द्वारा वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी सं0 4, 5 व 8 लगायत 16 के बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा अप्रार्थी सं0 17, 18 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर उनका जवाब का अवसर बन्द किया गया।

3.1 वकील अप्रार्थी 1, 2, 3, 6 व 7 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि उपहार विलेख दिनांक 19.05.2021 को शून्य व प्रमावहीन घोषित करने का एक मात्र अधिकार सिविल न्यायालय को है राजस्व न्यायालय को नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी का प्रस्तुत वाद प्रथम दृष्टया अस्वीकार किये जाने योग्य है। प्रतिवादी सं0 1 ने अपने हक व अधिकार की 1/5 हिस्सा भूमि को विधि अनुसार प्रतिवादी सं0 2 को अन्तरण कर उपहार विलेख अधीन भूमि का भौतिक आधिपत्य प्रतिवादी सं0 2 को प्रदान कर दिया है। प्रतिवादी सं0 2 का उक्त उपहार विलेख दिनांक 19.08.2021 के आधार पर नामान्तकरण संख्या 2678 दिनांक 28.01.2022 प्रतिवादी सं0 18 द्वारा विधि अनुसार स्वीकृत किया है। वादी ने प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में स्वीकृत नामान्तकरण सं0 2678 दिनांक 28.01.2022 के विरूद्ध धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है। वादी का श्योबक्ष पुत्र श्री रेखा माली के जीवनकाल में जन्म नहीं हुआ है, उसका श्योबक्ष की कृषि आराजी में हक व अधिकार सृजित नहीं हुआ है तथा वादी का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। वादी का प्रस्तुत वाद आदेश 7 नियम 11 (डी) सी0पी0सी0 की परिधि में आता है। इस विधिक आधार पर वादी का वाद निरस्तनीय है। वादग्रस्त आराजी ख0नं0 1170, 1171 व 1174 श्योबक्ष पुत्र श्री रेखा माली के कब्जे काश्त खातेदारी की थी जिनके निधन के बाद उनके विधिक वारिसान रामनारायण, मंगला, छोटूलाल, पांचूलाल व सुवालाल के पक्ष में विरासत नामान्तकरण स्वीकृत हुआ और 1/5–1/5 हिस्सा का इन्द्राज विधिक वारिसान् के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में किया गया। उक्त आराजी में अप्रार्थी सं0 1 के जीवनकाल में प्रार्थी का कोई विधिक 1/30 हिस्सा नहीं है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 से 16 के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी में नहीं है वरन् अप्रार्थी सं0 2 तथा 10 से 16 के संयुक्त कब्जे काश्त में है। सुवालाल के निधन के बाद उसके 1/5 हिस्सा भूमि का विरासत नामान्तकरण अप्रार्थी सं0 13 से 16 के पक्ष में अभी स्वीकृत नहीं हुआ है। रामनारायण ने अपने जीवनकाल में राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

रिकार्ड में इन्द्राज अपना 1/5 हिस्सा पने लघु भ्राता छोटूलाल को अन्तरित कर दिया तथा अप्रार्थी सं0 1 ने अपना 1/54 हिस्सा अप्रार्थी सं0 2 को उपहार प्रलेख दिनांक 19.08.2021 द्वारा हस्तान्तरित कर दिया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं है। रामनारायण, छोटूलाल व सुवालाल के निधन के बाद उसके विधिक वारिसान का अंकन नहीं किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन भूमि में 1/30 हिस्सा निहित है। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा अप्रार्थी सं0 2 के पक्ष में निष्पादित उपहार प्रलेख दिनांक 19.08.2021 को शून्य घोषित करवाने का प्रार्थी को कानूनन कोई हक प्राप्त नहीं है। प्रार्थी ने बिना किसी हक व अधिकार के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश किया है। वादग्रस्त भूमि का अप्रार्थी सं0 2 व 10 लगायत 16 के मध्य परस्पर सहमती से मौके पर विभाजन हो रखा है। अप्रार्थी सं0 2 लगायत 9 ने अप्रार्थी सं0 1 के साथ कोई मिलीभगत नहीं की है। प्रार्थी का वादग्रस्त कृषि आराजी में कोई विधिक हक हिस्सा अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी नहीं है। अतः जवाबकर्ता द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा सहित निरस्त करने का निवेदन किया।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद वर्णित भूमि पैतृक है जो प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं0 1 पांचूलाल पुत्र श्री श्योबक्ष के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है, किन्तु हिन्दू उत्तराधिकार के प्रावधानों के अनुसार उक्त 1/5 हिस्से में प्रार्थी का 1/6 हिस्सा निहित है। उक्त वाद वर्णित भूमि का प्रार्थी तथा अप्रार्थी सं0 1 से 16 के मध्य मय नींव सींव अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी भूमि का नापचौप कर बंटवारा किया हुआ नहीं है तथा राज़स्व रिकार्ड में वादअधीन कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वाद वर्णित कृषि भूमि पैतृक है किन्तु प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं0 1 पांचूलाल जी के अकेले नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में इन्द्राज होने के कारण अप्रार्थी सं0 1 ने वाद अधीन भूमि के सम्पूर्ण 1/5 हिस्से को अप्रार्थी सं0 2 लगायत 9 से मिलीभगत कर प्रार्थी को उसके अधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से अपनी पुत्रवधु अप्रार्थी सं0 2 के नाम दिनांक 19.08.2021 को उपहार प्रलेख निष्पादित कर पंजीयन करवा दिया है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित वाद वर्णित भूमि के 1/5 हिस्से में से 1/6 हिस्से का अर्थात सम्पूर्ण भूमि के 1/30 हिस्से का कानूनन खातेदार काश्तकार है। दिनांक 19.08.2021 को अप्रार्थीगण सं0 1, 2 व 7 ने वादी को ऐलानिया धमकी दी कि वे वादअधीन भूमि को आगे भी बैचान करके रहेंगे। अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

सं0 1 से 9 के इस प्रकार के कृत्य की वजह से वाद अधीन कृषि भूमि के प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0 1 से 16 के मध्य हिस्सेनुसार मय नींव सींव बंटवारा किये जाने हेतु प्रार्थी के द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी सं0 2 के विरूद्ध ताफैसला मूल वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी आवश्यक है कि वे ताफैसला मूल वाद वादअधीन भूमि को अन्यत्र विक्रय, दान इत्यादि किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा अप्रार्थी सं0 1 से 9 प्रार्थीगण के भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे।

4.2 वकील अप्रार्थी सं0 1, 2, 3, 6 व 7 द्वारा अपनी बहस के दौरान निवेदन किया कि उपहार विलेख दिनांक 19.05.2021 को शून्य व प्रभावहीन घोषित करने का एक मात्र अधिकार सिविल न्यायालय को है राजस्व न्यायालय को नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी का प्रस्तुत वाद प्रथम दृष्टया अस्वीकार किये जाने योग्य है। अप्रार्थी सं0 1 ने अपने हक व अधिकार की 1/5 हिस्सा भूमि को विधि अनुसार प्रतिवादी सं0 2 को अन्तरण कर उपहार विलेख अधीन भूमि का भौतिक आधिपत्य प्रतिवादी सं0 2 को प्रदान कर दिया है। प्रतिवादी सं0 2 का उक्त उपहार विलेख दिनांक 19.08.2021 के आधार पर नामान्तकरण संख्या 2678 दिनांक 28.01.2022 प्रतिवादी सं0 18 द्वारा विधि अनुसार स्वीकृत किया है। वादी ने प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में स्वीकृत नामान्तकरण सं0 2678 दिनांक 28.01.2022 के विरूद्ध धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है। वादी का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। वादी का प्रस्तुत वाद आदेश 7 नियम 11 (डी) सी0पी0सी0 की परिधि में आता है। इस विधिक आधार पर वादी का वाद निरस्तनीय है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रार्थी ने बिना किसी हक व अधिकार के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश किया है। वादग्रस्त भूमि का अप्रार्थी सं0 2 व 10 लगायत 16 के मध्य परस्पर सहमती से मौके पर विभाजन हो रखा है। अप्रार्थी सं0 2 लगायत 9 ने अप्रार्थी सं0 1 के साथ कोई मिलीभगत नहीं की है। प्रार्थी का वादग्रस्त कृषि आराजी में कोई विधिक हक हिस्सा अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी नहीं है। अतः जवाबकर्ता द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा सहित निरस्त करने का निवेदन किया।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थी सं0 1

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

का 1/5 हिस्सा निहित था तथा प्रार्थी द्वारा दर्शित सजरा प्रमाण पत्र व अप्रार्थी द्वारा पेश जवाब अनुसार प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 का पुत्र होकर वारिस है। जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का हिस्सा निहित है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र व बहस के दौरान उठाये गये कथनो/तथ्यों की वास्तविकता के संबंध में एवं अप्रार्थीगण द्वारा पेश जवाब में अंकित कथनों के संबंध में मूल वाद में साक्ष्य के आधार पर गुणागुण परिक्षण कर निर्णय पारित किया जावेगा।

वर्तमान परिपेक्ष्य में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् प्रस्तुत बहस पर मनन पश्चात् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम. का आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम मदनगंज पटवार हल्का मदनगंज तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 स्थित खाता सं0 नया 370 पुराना 382 ख0नं0 1170 रकबा 00–02–00 गै0मु0 रास्ता, ख0नं0 1171 रकबा 00–02–00 गै0मु0 चाह एवं ख0नं0 1174 रकबा 10–07–00 कुल किता 3 कुल रकबा 10–11–00 भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(अर्चना चौधरी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)